न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं.– 103 / 2020

1. सुनील कुमार } पुत्रान मदनसिंह जाति जाट निवासी काजलां तहसील बुहाना।
2. नरसिंह

..........प्रार्थीगण

बनाम

1. करतारसिंह पुत्र ईश्वर जाति जाट निवासी काजलां तहसील बुहाना।
2. गोरा पत्नी सरदारा जाति जाट निवासी काजलां तहसील बुहाना।
3. जयपाल पुत्र मेहरचंद जाति जाट निवासी काजलां तहसील बुहाना।
4. रविन्द्र पुत्र सरदारा जाति जाट निवासी काजलां तहसील बुहाना।
5. सुरेन्द्र पुत्र सरदारा जाति जाट निवासी काजलां तहसील बुहाना।
6. फुला पुत्री औधड़ जाति जाट निवासी काजलां तहसील बुहाना।
7. मोहनलाल पुत्र श्रीचंद जाति जाट निवासी काजलां तहसील बुहाना।
8. श्योनारायण पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी काजलां तहसील बुहाना।
9. हनुमान पुत्र श्रीचंद जाति जाट निवासी काजलां तहसील बुहाना।
10. सुमित्रा देवी पत्नी महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी काजलां तहसील बुहाना।

..............अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अं0 धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक :– 17.111.2021

–:निर्णय:–

आवेदकगण आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) कि वाके ग्राम काजलां तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 258 रकबा 0.99 है. मे आने जाने के लिए खसरा नम्बर 244 रकबा 0.36 है. के उत्तरी मेंढ व खसरा नम्बर 245 रकबा 0.90 है. के दक्षिण मेंढ के सहारे–सहारे 12 फुट का रास्ता काटते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(ख) कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 को पाबंद किया जावे कि खसरा नम्बर 244 के उत्तरी मेंढ व खसरा नम्बर 245 के दक्षिण जहां से प्रार्थीगण आता जाता रहता है उक्त 12 फुट रास्ते में किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण नहीं करें तथा ना ही उक्त भूमि पर निर्माण सामग्री डाले तथा ना ही उक्त भूमि पर नींव व गड्डा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.23 12:36:21 IST
Reason: SelfAttested

आदि खुदे। ऐसा ना स्वयं करे और ना ही अपने मित्रगण व परिचित व्यक्ति से करावें।

आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 5 की ओर जबाब पेश किया गया। शेष अप्रार्थीगण की बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 5 की ओर जबाब की ओर से जबाव पेश कर अतिरिक्त उत्तर दिया कि– ग्राम काजलां स्थित भूमि खसरा नम्बर 244 रकबा 0.36 है. में अनावेदकगणा संख्या 1 से 5 खातेदार कास्तकार दर्ज है। अनावेदक की भूमि से खसरा नम्बर 244 से पूर्व में आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 258 के खातेदार कास्तकार आवेदक है। जिसमें मकानात बनाकर आबाद है। अनावेदकगण संख्या 1 से 5 अपनी भूमि खसरा नबर 244 के उत्तरी मेंढ के सहारे सहारे खसरा नम्बर 258 तक 12 फुट चौडा रास्ता आवेदक को देने के लिए अनावेदक संख्या 1 से 5 तैयार है। अनावेदक संख्या 1 से 5 कि जितनी भूमि रास्ते में आती है उतनी भूमि आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 258 में से अनावेदकगण को दी जावें तब ही अनावेदकगण उक्त रास्ता देने को सहमत है इसलिए खसरा नम्बर 244 में से जितनी भूमि राजहक में रास्ता कायम किया जाता है उसी अनुसार आवेदकगण की भूमि में से अनावेदकगण को उसकी बराबर की भूमि अनावेदकगण का दिलवाई जाकर उसका खातेदार धोषित किया जावे। अनावेदकगण की भूमि के मूल्य की राशि लेने करे सहमत नही है। अतः जबाव प्रस्तुत किया जाकर निवेदन है कि उसकी भूमि खसरा नम्बर 258 के लिए रास्ता अनावेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 244 में से उत्तरी मेंढ की तरफ 12 फुट चौडा रास्ता कायम करने में अनावेदकगण को कोई आपत्ति नही है तथा उक्त रास्ते में जाने वाली भूमि को आवेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 258 में से अनावेकगण को दिलवाई जावे।

तहसीलदार बुहाना से मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई। मुताबिक मौका रिपोर्ट खसरा नम्बर 258 में जाने के लिए खसरा नम्बर 244 के उत्तरी सीमा के सहारे चौडा मे 67 X 4 = 268 व.मीटर आता है। इसके अलावा कोई रास्ता नजदीक नही है। खसरा नम्बर 258 के आवेदकगण खातेदार दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 244 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे 67 मी. लम्बाई व 4 मीटर चौडाई में 268 वर्गमीटर भूमि रास्ते के उपयोग हेतु दिया जाना उचित है।

अतः न्यायालय प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ता मात्र जोत के सुविधाजनक उपभोग **(Not mere convenient enjoyment of holding)** के लिये नहीं है बल्कि आत्यांतिक आवश्यकता **(Absolute Necessity)** का होना पाता है। यह भी कि आवेदक ने अपने खेत/मकान में आने जाने एवं कृषि उपज को लाने ले जाने के लिये वैकल्पिक साधन/रास्ता की अनुपलब्धता **(Absence of alternative means of access)** को भी साबित किया है। न्यायालय आवेदकगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.23 12:36:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र संख्याः– 103/2020
सुनील कुमार बनाम करतारसिंह आदि
निर्णय दिनांकः– 17.11.2021

–:: आदेश ::–

न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हैं। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि वाके ग्राम काजलां में स्थित भूमि खसरा नम्बर 258 रकबा 099 है. में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 244 रकबा 0.90 उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे 67 X 4 = 268 वर्गमीटर अर्थात 0.03 है. (नजरी नक्शे प्रदर्श–'अ' के अनुसार) रास्ते के रूप में दिए जाने के आदेश दिये जाते हैं। यह रकबा राजस्व रिकॉर्ड में अमल की दृष्टि से राउण्ड फिगर अर्थात एयर में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में **"गैर मुमकिन रास्ता"** के रूप मे सरकारी खाते में दर्ज की जावे। इस रास्ते से अन्यजन के रास्ते के उपयोग–उपभोग के अधिकार भी बने रहेगे। ग्राम काजलां की वर्तमान डीएलसी दर 996009/– रूपयें प्रति हैक्टयर के अनुसार कुल रकबा 0.03 है. की मुआवजा राशि 29880/– रूपये के दोगुणा 59760/– रूपये राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये जाते है। मुआवजा राशि राजकोष में जमा करवाने हेंतु तहसीलदार बुहाना को लिखा जावे। मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने पर नियमानुसार संम्बन्धित खातेदार/अप्रार्थीगण को भुगतान किया जावे। अप्रार्थीगण को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है कि उक्त रास्ते के उपयोग, उपभोग मे किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप मे, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। राजकोष में राशि जमा होने पर तहसीलदार बुहाना रिकॉर्ड में अमल व तरमीम करे। रास्ता के सीमा चिन्ह, पत्थरगढी कायम कर रास्ता कायम किया जावे। रहन यदि कोई हो तो रास्ता में जाने वाला रकबा रहन से मुक्त माना जावे।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक **17-11-2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.23 12:36:21 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम - कांधला
त० - खेतड़ी
जिला - झुंझुनूं
सन - १९६६-६८
पैमाना - सें.मी. 1 = 40 मीटर

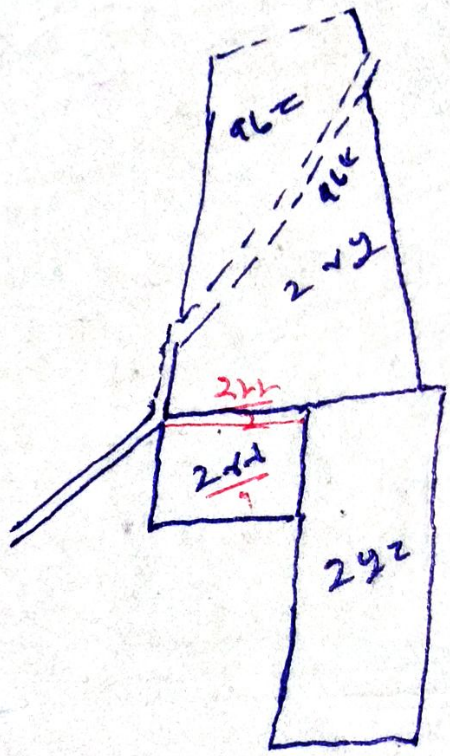

रघुनाथ सिंह कि कुमार

27.7.21

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.23 12:36:21 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (भू.अ.)
बुहाना जिला झुन्झुनूं